(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 708–पीबीआर/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–11–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 35/95–96/अपील.

मृतक रामचरन पुत्र कन्हैयालाल
(1) श्रीमती रामरती पत्नी स्व. रामचरन
(2) लखपत सिंह पुत्र स्व. रामचरन
(3) नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रामचरन
(4) श्रीराम पुत्र स्व. रामचरन
(5) महादेवी पुत्री स्व. रामचरन
निवासीगण ग्राम पार
तहसील टप्पा घाटीगांव जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

लक्ष्मण प्रसाद पुत्र पंछीराम
निवासी ग्राम पार
तहसील टप्पा घाटीगांव जिला ग्वालियर .....अनावेदक

श्री राजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के पूर्वज स्व. रामचरन द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सिमरिया टांका स्थित भूमि सर्वे कमांक 248/2, 248/3, 253/16, 255/1, 255/2 एवं 255/3 कुल रकबा 32 बीघा 7 बिस्वा अनावेदक से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से कय किये जाने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 59/83–84/अ–6 दर्ज कर दिनांक 5–10–85 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर रामचरन का नामांतरण किये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–5–92 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष दिनांक 29–9–95 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–11–2001 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर पूर्व की स्थिति के अनुसार अनावेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक द्वारा अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई थी, और उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अवधि बाह्य अपील में आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 13–7–64 निरस्त कराने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि निरस्त हो चुका है, और उसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कुछ बिन्दुओं पर साक्ष्य लेने हेतु प्रकरण अपीलीय न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश आवेदकगण के पक्ष में है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी आवेदकगण के पूर्वज स्व. रामचरन होने के पूर्व अनावेदक के पिता के नाम दर्ज थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा पूर्व की स्थिति कायम करते हुए अनावेदक का नाम दर्ज करने का आदेश देना विरोधाभास कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जिस समय आदेश पारित किया गया

था, उस समय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष व्यवहार वाद लम्बित था । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात वर्ष 2005 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा डिक्री पारित की गई है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–2001, अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 14–5–92 एवं तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–10–85 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण व्यवहार न्यायालय के आदेश के प्रकाश में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर